

राजस्थान – सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/29)आयो/निकाशि/2019-20/ 920 दिनांक : 13-11-2019

:: आदेश ::

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य निधि मद के अन्तर्गत माँग संख्या -51 में विस्तृत लेखा शीर्ष मदों में निम्नलिखित नवीन राजकीय महाविद्यालयों को उनके सम्मुख बजट मद में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है :-

माँग संख्या-51

2202 -	सामान्य शिक्षा
03 -	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
789 -	अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र (विशेष संघटक योजना)
01 -	अनुसूचित जातियों के लिए (विशेष संघटक योजना) राज्य निधि

(राशि लाखों में)

क्र सं.	महाविद्यालय का नाम	मद			
		01- संवतन	31- पुस्तकालय	33- प्रयोगशाला	62- कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी
1	राजकीय महाविद्यालय, फागी	10.00	0.90	1.00	1.00
2	राजकीय महाविद्यालय, बरसी	10.00	0.90	1.00	1.00
3	राजकीय महाविद्यालय, चाकसू	10.00	0.90	1.00	1.00
4	राजकीय महाविद्यालय, चितलवाना	10.00	0.90	1.00	1.00
5	राजकीय महाविद्यालय, पहाड़ी	10.00	0.90	1.00	1.00
6	राजकीय महाविद्यालय, सांचौर	10.00	0.90	1.00	1.00
7	राजकीय महाविद्यालय, सिवाना	0.00	0.90	1.00	1.00
	योग	60.00	6.30	7.00	7.00

व्यय विभागीय निर्देश एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना कर किया जावे।

(राजकुमार मीना)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/29) आयो/आकाशि/19-20/ 921-24
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 13-11-2019

- महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर ।
- संयुक्त निदेशक (आयोजना), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सम्बन्धित प्राचार्य को भेजकर लेख है कि 01- संवतन मद के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि का व्यय 15 दिसम्बर 2019 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करे निश्चित तिथि तक राशि का व्यय नहीं किये जाने पर राशि का आहरित कर लिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी साथ ही मासिक व्यय का विवरण भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ।
- वेब प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार